

मुख्य हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी किये गये

23.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत रजि. नोटिस प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ना ही देय राशि का भुगतान प्रार्थी को किया है। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पट्टा नं. 12/62 चक 22 एस बी, जी.पी. 6 डीडी घड़साना कुल क्षेत्रफल 1645 स्कवायर फीट का भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है, परन्तु प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सम्पत्ति के दस्तावेज पट्टा में कुल क्षेत्रफल 16450 स्कवायर फुट (1827.77 वर्ग गज) अंकित हैं। प्रार्थी द्वारा कुल भूमि में से किस दिशा की 1645 वर्गफुट सम्पत्ति का कब्जा चाहा है यह प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)

I.A.S.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

